(c) Yes, Sir. In a meeting with the State Directors of Industries, it has been recently decided that after assessing growth potential, all the estates should be classified into following three categories :—

(i) estates as are working satisfactorily and require no incentives ;

(ii) estates as are not working properly at present but have growth potential and given adequate incentives would start working well ; and

(iii) estates as have no growth potential and hence no prospects.

For the estates in the (ii) category it was decided that after proper enquiry, adequate incentives should be provided by the State Governments and where necessary proposals should be sent to the Central Government for sharing the subsidy on rent. Estates in the (iii) category may be transferred to other departments or put to some alternate use.

Labour Cooperative for Handling Works at Stations

10066. SHRI BRAHM PARKASH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway Board had, as early as 1958, framed a policy of encouraging Labour Cooperatives for handling works at Railway Stations and opened a Department for the formation of such Cooperatives ;

(b) if so, the number of Labour Cooperatives so far organised, the number of such Societies to whom work has not so for been allotted and the reasons therefor ; and

(c) the action proposed to be taken by Government to replace contractors by Labour Cooperatives and the phased programmes, proposed for it ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

राज्य व्यापार निगम में संयुक्त प्रभागीय प्रबन्धक

10067. **श्री रा० कृ० सिन्हा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम में संयुक्त प्रभागीय प्रबन्धकों की नियुक्ति के लिये शिक्षा सम्बन्धी क्या योग्यता निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या सरकार राज्य व्यापार निगम में इस समय कार्य करने वाले संयुक्त प्रभागीय प्रबन्धकों की रक्षा सम्बन्धी योग्यताओं से संतुष्ट है और क्या सरकार को इस बात का विश्वास है कि उनकी नियुक्ति निर्धारित कसौटी के आधार पर की गई थी ;

(ग) क्या उनमें कोई ऐसा व्यक्ति है, जो भारत में मैट्रिक की परीक्षा पास नहीं कर सका था, परन्तु अमरीका में एक वर्ष रहने के पश्चात वह अब राज्य व्यापार निगम में 1100-1400 रुपये के वेतनमान में कार्य कर रहा है ; और

(घ) क्या उन में कोई ऐसे व्यक्ति भी है, जो उत्तर प्रदेश की पदालि में वर्तमान वेतन से आधे वेतन में भी स्थायी नहीं हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) संयुक्त प्रभागीय प्रबन्धक के पद पर सीधी भर्ती के लिये शैक्षिक योग्यताएं ये हैं: अर्थशास्त्र, वाणिज्य, सांख्यिकी अथवा व्यावसायिक प्रशासन में मान्यता प्राप्त उपाधि, जो स्नातकोत्तर उपाधि हो तो श्रेयस्कर है, साथ ही किसी सरकारी संगठन अथवा प्रख्यात वाणिज्यिक उपक्रम में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो । किसी प्रख्यात वाणिज्यिक उपक्रम में कम से कम 10 वर्ष के अनुभव वाले विशेष अनुभवी अभ्यार्थियों के मामले में उपाधि सम्बन्धी योग्यता शिथिल की जाती है । परन्तु यह कसौटी उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होती जिसकी संयुक्त प्रभागीय प्रबन्धक के पद पर पदोन्नति की जाए अथवा जो अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर लिये जाएं ।

(ख) संयुक्त प्रभागीय प्रबन्धकों के पद पर की गयी पदोन्नतियों अथवा नियुक्तियों की सरकार जांच नही करती । यह निगम के अधिकार के अन्तर्गत ही है । फिर भी, निगम सरकार को सूचित करता है कि सीधी भर्ती के मामले में जहां शैक्षिक योग्यताएं निर्धारित स्तर से कम